



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ 1939 (श०)

(सं० पटना 567) पटना, बृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून 2017

एस० ओ० 111, दिनांक 29 जून 2017 -बिहार माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार निदेश देते हैं कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक आवृत्त नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड के अंकों का वर्णन, उक्त अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेगा ।

सारणी

क्रम सं०	पूर्ववर्ती वित वर्ष में वार्षिक आवृत्त	एचएसएन कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक और पांच करोड़ रुपए तक	2
3.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/विविध-224/2014-2212)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ०, 112 एस० ओ० 111, दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/विविध-224/2014-2212)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017

S.O. 111, dated the 29th June 2017— In exercise of the power conferred by the first proviso to rule 46 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner of Commercial Taxes, Bihar, on the recommendations of the Council, hereby directs that a registered person having annual turnover in the preceding financial year as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of Harmonised System of Nomenclature (HSN) Codes, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by him under the said rules.

Table

Serial Number	Annual Turnover in the preceding Financial Year	Number of Digits of HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	Upto rupees one crore fifty lakhs	Nil
2.	more than rupees one crore fifty lakhs and upto rupees five crores	2
3.	more than rupees five crores	4

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-Kar/vividh-224/2014-2212)]

By the order of Governor of Bihar,

Sujata Chaturvedi,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 567-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>